23 23

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1237/पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 502/07-08/अपील.

सेवाराम पुत्र मंगूराम ढीमर,
निवासी ग्राम सत्ती का पुरा, भैंसनारी,
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. रघुवीर सिंह पुत्र चुनुआ ढीमर,
2. कल्लाराम
3. लक्खू
4. बालकिशन

तीनों पुत्रगण मंगूराम ढीमर,
निवासीगण ग्राम सत्ती का पुरा, भैंसनारी
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 30.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि शिवचरण पुत्र मन्टोला के नाम ग्राम भैंसनारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 12/1 मिन रकबा 1.045 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 134/3 रकबा 0.898

हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 135/1 रकबा 1.076 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 150/1 रकबा 0.627 हैक्टेयर कुल किता 4 किल रकबा 3.646 हैक्टेयर भूमि थी। शिवचरण भूमिस्वामी की मृत्यु उपरांत अपर तहसीलदार, डबरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/2004-05/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2005 से वसीयत के आधार पर अनावेदक क्र. 1 का नामांतरण किया गया। अपर तहसीलदार के आंदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2008 को आदेश पारित कर अपील समयबाह्य मानकर निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.08.2010 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ आवेदक को सूचना, जवाब, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण, बहस का अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन अपने आदेश में नहीं किया है, जिस कारण आदेश निरस्ती योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है कि आवेदक व अनावेदक क्र. 2, 3, 4 मृतक शिवचरण पुत्र मन्टोला के वैध वारिस होकर एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, उन्हें अपनी पुस्तैनी संपत्ति से वंचित कर पक्षपातपूर्ण आदेश पारित किया है। इस कारण आदेश निरस्ती योग्य है।

(3) प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपील को समयावधि को मानते हुये आवेदक की अपील निरस्त की है, किन्तु किस दिनांक से म्याद शुरू हुई व किसके द्वारा आवेदक को विवादित आदेश की जानकारी हुई, इन सब कानूनी बिन्दुओं को अनदेखा कर अपील को समयबाह्य मानते हुए क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया है। इस कारण आदेश निरस्ती योग्य है।

(4) प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनिये के सिद्धांत का पालन अपने आदेश में न कर आवेदक को प्रकरण की सुनवाई से वंचित कर दिया है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने व मृतक शिवचरण पुत्र मन्टोला समस्त चल व अचल संपत्ति पर आवेदक व अनावेदक क्र. 2, 3, 4 का नामांतरण स्वीकार किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक का नाम वसीयत के आधार पर चढ़ाया गया है, लेकिन वसीयत पर चढ़ाते समय तहसीलदार को मृतक के सभी वैधानिक वारिसों को भी सूचना देकर बुलाना चाहिये था । आवेदक मृतक का भतीजा होना बताता है । तहसील न्यायालय का आदेश उसकी अनुपस्थिति में हुआ था अत: अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने समयबाह्य मान कर अपीलों का निराकरण करने में त्रुटि की है। इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुन: संहिता के प्रावधानों के अनुरूप सभी पक्षकार/विधिक वारसानों को सुनकर विधिवत् आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-8-2010, अनुविभागीय अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-3-2008 एवं तहसीलदार तहसील डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-2-2005 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विवेचना के आधार पर निराकरण करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर